न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्रमांक- नि -452- II -16

1- रघुवीर यादव तनय गुन्दे यादव आयु 55 वर्ष
2- रघुनाथ यादव तनय गुन्दे यादव आयु 45 वर्ष
3- रामरतन यादव तनय गुन्दे यादव उम्र 40 वर्ष
सभी निवासीयान ग्राम देवपुर तहसील खरगापुर
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

-- निगराकारगण/आवेदकगण

बनाम

1-भगवानदास यादव तनय सुखसिंह यादव निवासी
ग्राम देवपुर तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ म.प्र.
2-शासन (म.प्र.) --प्रतिनिगराकार/अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

निगरानी प्रतिकूल विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय बल्देवगढ़ के राजस्व प्रकरण क्रमांक/ 3/अपील/2015-16 मे पारित आदेश दिनांक 29/10/2015 के विरुद्ध जिसमे अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 52 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 निरस्त किया गया से क्षुब्ध होकर :-

महोदय,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :-

यह कि निगराकारगण के पिता की मृत्यु के बाद उनके द्वारा छोडी गई समस्त चल एवं अचल संपत्ति का नामांतरण दिनांक 15/10/2011 के द्वारा नामांतरण हो चुका था समस्त राजस्व अभिलेख व कम्प्यूटर मे भी वर्ष 2011-12 मे नाम दर्ज हो गया था निगराकारगण द्वारा वर्ष 2015 मे सितम्बर माह मे क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये कम्प्यूटर खसरा नंबर 383/1 स्थित ग्राम देवपुर की नकल निकाली तो प्रतिनिगराकार का नाम दर्ज था जिसके सम्बंध मे समुचित रूप से प्रतिलिपि दिनांक नामांतरण पंजी क्रमांक 1 दिनांक 23/07/2015 की नकल हेतु प्रयास किया

E27

R 452-17/16 (ले.मपवार)

27.9.16.

आवेदक की ओर से कोई उप० नहीं। आवेदक को सूचना भी दी गई। तत्पश्चात् भी आवेदक की प्रकरण को निरंतर रखने में कोई रुचि नहीं है। अतः प्रकरण रुचि के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पक्षकार सूचित हों।

तहसील